भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची

प्रलिम्सि के लयि:

लोकसभा, आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 343-351

मेन्स के लयि:

शास्त्रीय भाषाओं से संबंधति दशि-नरि्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शकि्षा मंत्री द्वारा **लोकसभा** में आठवीं अनुसूची में भाषाओं को बढ़ाने से संबंधति सरकार द्वारा उठाए गए वभिनि्न कदमों की जानकारी दी।

प्रमुख बदि

आठवीं अनुसूची:

- **आठवीं अनुसूची के बारे में:**
  - इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधकिारकि भाषाओं को सूचीबद्ध कयिा गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामलि अनुच्छेद आधकिारकि भाषाओं से संबंधति हैं।
  - आठवीं अनुसूची से संबंधति संवैधानकि प्रावधान इस प्रकार हैं:
    - **अनुच्छेद 344:** अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्त पिर राष्ट्रपत द्विारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
    - **अनुच्छेद 351:** यह हिंदी भाषा को वकिसति करने के लयि इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकयिह भारत की मशि्रति संस्कृत कि सभी तत्त्वों के लयि अभवि्यक्त कि माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
  - हालाँकयिह ध्यान देने योग्य है कक्रिसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामलि करने के लयि कोई नशि्चति मानदंड नर्धारति नहीं है।
- **आधकिारकि भाषाएँ:**
  - संविधान की आठवीं अनुसूची में नम्निलखिति 22 भाषाएँ शामलि हैं:
    - असमयिा, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणपिुरी, मराठी, नेपाली, ओडयिा, पंजाबी, संस्कृत, सधिी, तमलि, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथलिी और डोगरी।
  - इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामलि कर लयिा गया था।
  - वर्ष 1967 में सधिी भाषा को 21वें सवधिान संशोधन अधनियिम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामलि कयिा गया था।
  - वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधनियिम द्वारा कोंकणी, मणपिुरी और नेपाली को शामलि कयिा गया।
  - वर्ष 2003 में 92वें सवधिान संशोधन अधनियिम जो कवि‍र्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथलिी और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामलि कयिा गया।

शास्त्रीय भाषाएँ:

- **परचिय:**
  - वर्तमान में ऐसी छह भाषाएँ हैं जनि्हें भारत में 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त है:
    - तमलि (2004 में घोषति), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगू (2008), मलयालम (2013) और ओडयिा (2014)।
    - सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- **दशि-नरि्देश:**
  - संस्कृत मिंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दशि-नरि्देश प्रदान करता है जो नीचे दयि गए हैं:
    - इसके प्रारंभकि ग्रंथों का इतहिास 1500-2000 वर्ष से अधकि पुराना हो।
    - प्राचीन साहत्यि/ग्रंथों का एक हसि्सा हो जसि बोलने वाले लोगों की पीढ़यिों द्वारा एक मूल्यवान वरिासत माना जाता हो।

    - साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो।
    - शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न हैं, इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है।
- **प्रचार का लाभ:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं-
    - भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिये दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण।
    - शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
    - मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के पेशेवर अध्यक्षों के कुछ पदों की घोषणा करे।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eighth-schedule-of-the-indian-constitution